आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० ..... से ..... तक

जिला : जहानाबाद, वाद संख्या–**912**/सन् **2016**

केस का प्रकार : बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2016 अन्तर्गत मतगणना के अवसर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा का प्रख्यापन

1	2	3

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, जहानाबाद।

सरकार बनाम अन्य

दं०प्र०सं० की धारा–144 अन्तर्गत

निषेधाज्ञा आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के कार्यक्रम के अनुसार इस अनुमंडल क्षेत्र में दिनांक 18.05.2016 को मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गयी है एवं दिनांक 21.05.2016 से इस अनुमंडल के सभी प्रखंड मुख्यालय में मतगणना प्रारंभ होना निर्धारित है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आसूचनाओं से इस बात की प्रबल आशंका है कि मतगणना के पूर्व एवं उसके पश्चात् विभिन्न अभ्यर्थी अथवा व्यक्ति समूह के द्वारा राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति का प्रदर्शन कर समाज को प्रभावित/आतंकित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अवांछित/असमाजिक व्यक्तियों द्वारा समाज में जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष फैलाने का प्रयास किया जा सकता है। उक्त सभी के कारण विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति एवं लोक–व्यवस्था भंग हो सकती है।

अतः उपर्युक्त पृष्ठभूमि में मैं, नवल किशोर चौधरी, भा०प्र०से०, अनुमंडल दंडाधिकारी, जहानाबाद संतुष्ट हो कर अगले आदेश तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जहानाबाद अनुमंडल क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नांकित आदेश जारी करता हूँ :–

1. इस अनुमंडल के सभी प्रखंड मुख्यालय स्थित मतगणना केन्द्र के बाहरी चहारदिवारी से सभी दिशाओं में 200 मीटर की परिधि में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह जमा होना वर्जित रहेगा। मतगणना कार्य के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों/विधि–व्यवस्था में कर्त्तव्य आरूढ़ व्यक्तियों तथा मतगणना परिसर में प्रवेश करने के लिए वैध पास धारक पर यह लागू नहीं होगा।
2. पूरे अनुमंडल क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन (जिसमें 5 या उससे अधिक व्यक्ति इक्कठे हों) बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होगी तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं होगा। यह आदेश शादी, बारात पार्टी, शव–यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र–छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
3. कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का आग्नेयास्त्र, तीर–धनुष, लाठी, भाला, गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे और न ही लेकर चलेंगे। यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि–व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी जहानाबाद